[2025:आरजे-जेडी:1221]

राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4203/2018

पुखराज पुरोहित एवं अन्य।

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए	:	श्री मानवेन्द्र सिंह जी के साथ सुश्री सौम्या चौधरी सुश्री अनन्या राठौड़
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री तनुज जैन, श्री मुकेश दवे, डी.वाई.जी.सी. के लिए

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश **(**मौखिक**)**

08/01/2025

1. याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादीगण को निर्देश देने की मांग की है कि उन्हें विज्ञापन दिनांक 04.05.2007 (संलग्नक-1) के अनुसरण में, उनके पूर्व कार्य अनुभव के आधार[1] पर दिनांक 06.10.2008 से नर्स ग्रेड-II के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाए।

2. संक्षेप में, प्रासंगिक तथ्य यह है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 24 जिलों के उप-स्वास्थ्य केंद्रों हेतु 04.05.2007 को 2,500 जीएनएम पदों की भर्ती का विज्ञापन

[1]**दिनांक 27.02.2025 को अपलोड किया गया, जिसमें 'कार्य अनुभव प्रमाण पत्र दिनांकित' शब्दों को 'उनके पिछले कार्य अनुभव से प्रभावी' शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया।**

जारी किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने, पात्र होने के कारण, इन पदों के लिए आवेदन किया था।

2.1 यद्यपि प्रतिवादियों ने 06.10.2008 को चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु कार्यालय आदेश जारी किया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं को इसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि चयन प्रक्रिया आंतरायिक रूप से हुई थी। इस दौरान कई रिट याचिकाएँ भी दायर की गईं। तत्पश्चात, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6207/2009 में इस न्यायालय की वृहद पीठ के दिनांक 07.12.2016 के निर्णय द्वारा, प्रतिवादीगण को जिला स्तर पर चयन करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस निर्णय के अनुपालन में, प्रतिवादीगण ने 02.12.2016 को याचिकाकर्ताओं को भी नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। याचिकाकर्ता जीएनएम के रूप में सेवा में शामिल हो गए।

2.2 वर्ष 2013 में, प्रतिवादीगण ने पिछले अनुभव के आधार पर बोनस अंक प्रदान करते हुए नियमित जीएनएम भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की। 2008 में नियुक्त समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिए गए, लेकिन 2016 में बाद में नियुक्त याचिकाकर्ताओं को 2008 में नियुक्त अभ्यर्थियों के समतुल्य बोनस अंक देने से इनकार कर दिया गया। इसलिए, यह याचिका।

3. याचिका का विरोध करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा यह पक्ष लिया गया कि नर्स ग्रेड-II के 15,773 पदों को भरने के लिए दिनांक 26.02.2013 का विज्ञापन अनुभव प्रमाण पत्रों के लिए बोनस अंक प्रदान करता है, जो कि एक, दो और तीन वर्षों के अंतराल में है, अर्थात एक वर्ष के लिए 5 अंक, दो वर्ष के लिए 10 अंक और तीन वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए 15 अंक।

3.1. वित्त विभाग ने रिक्तियों की संख्या घटाकर 11,259 कर दी और इन्हीं 11,259 पदों पर भर्ती आयोजित की गई। यह उल्लेखनीय है कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

3.2. राज्य सरकार ने बजट सत्र 2018-19 में नर्स ग्रेड II के 4,514 अतिरिक्त पदों की घोषणा की थी। बाद में, वित्त विभाग ने 29.05.2018 को 2,043 और पदों को मंजूरी दी। तत्पश्चात, कुल 6,557 पदों को भरने के लिए 30.05.2018 को एक नया विज्ञापन जारी किया गया। सभी पात्र उम्मीदवारों को नियमानुसार बोनस अंक प्रदान किए गए।

3.3 याचिकाकर्ताओं ने 26.02.2013 के विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति की मांग करते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है। हालाँकि, 26.02.2013 के विज्ञापन के तहत नियुक्ति का दावा गुणदोष रहित है। इसलिए याचिकाकर्ता इस न्यायालय से किसी भी प्रकार के अनुग्रह का हकदार नहीं है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और साथ ही प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता की प्रतिद्वन्द्वी तर्कों को सुना हैं।

5. बिना किसी और विलंब के,प्रारंभ में ही, मैं यह अवलोकन कर सकता हूँ कि याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति से पूर्व की विगत 10 वर्षों की सेवा का काल्पनिक लाभ इस आधार पर मांग रहे हैं कि यद्यपि वे सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध थे, किंतु स्वयं के किसी दोष के बिना उन्हें सेवा से बाहर रखा गया, क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में घोषित परिणाम में उनकी कोई गलती न होने के बावजूद उनका चयन नहीं किया गया। तत्पश्चात, संशोधित परिणाम में उनका चयन हुआ। तर्क यह है कि याचिकाकर्ताओं ने पूर्ववर्ती परिणाम को सफलतापूर्वक चुनौती दिए जाने से यह सिद्ध हो गया है कि वे प्रथम दृष्टया चयन हेतु गुणवान थे। अतः, कार्य हेतु निरंतर उपलब्ध रहने के कारण, उन्हें सेवा से बाहर रहने की अवधि का काल्पनिक लाभ मिलना चाहिए।

6. उक्त विवाद, वास्तव में, **मनीषा जांगिड़ बनाम राजस्थान राज्य: एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या *15767/2018*** में एक समकक्ष पीठ द्वारा पारित आदेश/निर्णय द्वारा पहले ही समाप्त हो चुका है। निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त मामले में, याचिकाकर्ताओं के प्रतिपक्षी का चयन पूर्व-संशोधित और संशोधित, दोनों परिणामों में हुआ था। जबकि, याचिकाकर्ताओं का चयन केवल संशोधित परिणामों में हुआ था, और इस सीमा तक, वास्तव में, प्रतिपक्षी, अर्थात् मनीषा जांगिड़ का मामला, उक्त आदेश/निर्णय में बेहतर स्थिति में था और फिर भी इस न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

7. आदेश/निर्णय, यथोक्त, का प्रासंगिक भाग नीचे पुन: प्रस्तुत है:-

> *"17.* पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
>
> *18.* वर्तमान मामले में जिस पहेली को हल करने की आवश्यकता है, वह इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा याचिकाकर्ता के मामले पर निर्णय देते समय प्रयुक्त वाक्यांश है - "कल्पित लाभ, यदि योजना के अनुसार उपलब्ध हो"

19. दिनांक *07.12.2016* के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि इस न्यायालय द्वारा अनुभव के लिए काल्पनिक लाभ प्रदान करने हेतु कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया था और इसे "यदि योजना के अनुसार उपलब्ध हो" वाक्यांश द्वारा परिसीमित /योग्य बना दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा जारी न तो किसी योजना और न ही किसी नीति या परिपत्र में काल्पनिक अनुभव के संबंध में कोई प्रावधान है। इसलिए, उसे कथित काल्पनिक अनुभव का लाभ नहीं दिया जा सकता।

20. इसके अलावा, याचिकाकर्ता की संविदात्मक नियुक्ति *31.03.2009* को समाप्त हो गई थी, जिसके बाद से उसके द्वारा दायर रिट याचिका बिना किसी अंतरिम आदेश के लंबित रही।

21. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान ही याचिकाकर्ता ने दिनांक *26.02.2013* के विज्ञापन के अनुसार नर्स ग्रेड-*II* के पद के लिए आवेदन किया था। स्वाभाविक रूप से उसने अब तक प्राप्त अनुभव *(*एक वर्ष और नौ महीने*)* पर बोनस अंकों का दावा किया था।

22. याचिकाकर्ता अपनी रिट याचिका में पारित दिनांक *07.12.2016* के आदेश में निहित शर्त के आधार पर, जिस अनुभव का दावा कर रही है, उसके लिए बोनस अंकों का दावा नहीं कर सकती थी।

23. इस न्यायालय के मत में, याचिकाकर्ता अपने आवेदन में किए गए दावे से अधिक का दावा नहीं कर सकती। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उसे काल्पनिक अनुभव का लाभ दिया जाना चाहिए, भ्रामक है, क्योंकि उसकी संविदा के आधार पर नियुक्ति *04.11.2016* जैसी विलंब तिथि को हुई थी।

24. इसके अलावा, याचिकाकर्ता के नियुक्ति आदेश दिनांक *04.11.2016* के साथ संलग्न नोट, याचिकाकर्ता को काल्पनिक अनुभव का दावा करने के अधिकार *(*यदि कोई हो*)* से वंचित करता है, भले ही याचिकाकर्ता के इस तर्क में कुछ सार हो कि दिनांक *07.12.2016* के आदेश द्वारा उसकी रिट याचिका का निस्तारण करते समय, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी - राज्य को काल्पनिक लाभ देने का निर्देश जारी किया था।

25. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा नवीन पाटीदार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य*:* एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या *10729/2018* के मामले में पारित निर्णय दिनांक *03.01.2020* पर आश्रय, उसके मामले में बहुत कम सहायता प्रदान करती है, क्योंकि नवीन पाटीदार *(*उपरोक्त*)* के मामले में, खंडपीठ ने *(*उनके स्वयं के मामले में*)* राज्य को सभी लागू काल्पनिक लाभ देने का निर्देश दिया था।

26. नवीन पाटेदार *(*उपरोक्त*)* के मामले में, न्यायालय इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचा था कि यह राज्य सरकार की गलती थी और चूँकि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, उक्त नवीन पाटीदार को विलंब से *(10.07.2015* को*)* नियुक्ति दी गई थी, इसलिए खंडपीठ ने अधिकारों की रक्षा की। लेकिन, वर्तमान मामले में न तो राज्य सरकार की कोई गलती है और न ही *07.12.2016* के आदेश में बोनस अंक प्रदान करने का कोई निश्चित निर्देश है।

> *27.* यह जोड़ना अनुचित नहीं होगा कि *2013* में शुरू की गई भर्ती बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी, जिसके बाद *2018* और *2023* की दो और भर्तियाँ हुई हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता को कोई अनुग्रह प्रदान नहीं की जा सकती।"

8. उपरोक्त निर्णय कारणों को दर्ज करने के बाद दिया गया था, जिसने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है क्योंकि उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई थी। मैं समकक्ष पीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमत हूँ और इसके मद्देनजर यह याचिका भी खारिज किए जाने योग्य है।

9. इसके अलावा, एक पूर्ण हो चुकी चयन प्रक्रिया को पूर्वव्यापी रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती और भर्ती में अंतिमता के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। वैध अपेक्षा का सिद्धांत तभी लागू होता है जब कोई स्पष्ट सरकारी आश्वासन या नीति हो जो किसी लाभ की अपेक्षा पैदा करती हो। याचिकाकर्ताओं को 2008 में नियुक्त लोगों के समान व्यवहार की वैध अपेक्षा कभी नहीं हो सकती थी क्योंकि (क) उनका चयन एक बाद की प्रक्रिया पर आधारित था; (ख) संशोधित भर्ती परिणाम में पूर्वव्यापी लाभों का वादा कभी नहीं किया गया था और (ग) याचिकाकर्ताओं द्वारा काम करने के लिए उपलब्ध होने के बावजूद अभी तक तैनात न किए जाने के कारण काम पर काल्पनिक नियुक्ति का दावा, भले ही उनके पक्ष में मान लिया जाए, फिर भी भविष्य की भर्तियों में इसके आधार पर वरीयता दिए जाने का स्वतः अधिकार नहीं बनाता है। शारीरिक रूप से काम किए बिना बोनस अंकों के लिए याचिकाकर्ताओं के दावे को स्वीकार करने से एक अस्वीकार्य मिसाल कायम होगी जहाँ पिछले भर्ती निर्णयों को उन लोगों द्वारा लगातार चुनौती दी जाएगी जो उनसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे, जिससे प्रशासनिक अराजकता उत्पन्न होगी। निपटाए गए रोजगार मामलों पर पुनर्विचार करते समय कुछ न्यायिक संयम बरतना होगा, खासकर जब किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन न हो।

10. अनुच्छेद 14 के कथित उल्लंघन के संबंध में, याचिकाकर्ताओं की स्थिति 2008 में नियुक्त किए गए लोगों के समान नहीं है और इसलिए वे समान व्यवहार का दावा नहीं कर सकते। समान व्यवहार समान लोगों के बीच लागू होता है—चूँकि याचिकाकर्ताओं ने अलग-अलग परिस्थितियों में सेवा में प्रवेश किया है, इसलिए वे पहले सेवा में शामिल हुए

लोगों के समान लाभों का दावा नहीं कर सकते। इस प्रकार, याचिका में गुणदोष का अभाव है क्योंकि याचिकाकर्ताओं के पास कोई निहित अधिकार, कोई वैध अपेक्षा और कोई वैध संवैधानिक दावा नहीं है।

11. अंत में, मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **नवीन पाटीदार बनाम राजस्थान राज्यः एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या *10729/2018*** के मामले पर किया गया आश्रय, जिसका उल्लेख मनीषा जांगिड़ के एकल पीठ के आदेश/निर्णय (यथोक्त) में किया गया है, पूरी तरह से गलत है। उक्त मामले में, नवीन पाटीदार के अधिकारों को एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के खिलाफ उनके द्वारा दायर एक अंतर-न्यायालय अपील में खंडपीठ द्वारा संरक्षित किया गया था। हालाँकि, नवीन पाटीदार को दी गई सुरक्षा व्यक्ति-लक्षी थी और इसे सर्व-लक्षी के रूप में नहीं माना जा सकता है। उक्त निर्देश को सर्व-लक्षी के रूप में स्वीकार करने से मुश्किलों का पिटारा खुल जाएगा और उन लोगों के पक्ष में शत्रुतापूर्ण भेदभाव उत्पन्न करेगा जिन्होंने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जबकि अन्य जिन्होंने निर्णय के परिणाम को एक अपरिवर्तनीय तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया है, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

12. परिणामस्वरूप, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

13. खारिज।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते है।

(अरुण मोंगा**),** जे

177-/जितेन्द्र/राकेश माथुर/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ / नहीं।

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate